भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2932
जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

यातायात जाम और सड़क दुर्घटनाएं

2932. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या देश में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा यातायात जाम, प्रैशर हॉर्न और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी, जो सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं, से निपटने के लिए क्या ठोस प्रयास किए जा रहे हैं; और
(ग) क्या सरकार का यातायात नियमों को पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल करने का विचार है, ताकि छात्रों में कम आयु से ही इस ज्ञान का समावेश किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष "भारत में सड़क दुर्घटनाओं" पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 तक देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है: -

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या
2018	4,70,403
2019	4,56,959
2020*	3,72,181
2021*	4,12,432
2022	4,61,312

** - कोविड प्रभावित वर्ष*

वर्ष 2018 से 2022 तक देश में सड़क दुर्घटनाओं की राज्यवार कुल संख्या अनुबंध के अनुसार विस्तृत है।

(ख) यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। जबकि केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसके अलावा, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 67 राज्यों को सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसमें दिशा-निर्देश/अधिसूचनाएं जारी करना और यातायात की भीड़ को कम करने के लिए योजनाएं विकसित करना शामिल है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 117 राज्य सरकारों को सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा और यातायात के निर्बाध आवागमन को प्राथमिकता देते हुए पार्किंग स्थलों और ठहराव स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थानों का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान करती है।

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, सड़कों या राज्य के भीतर किसी भी शहरी नगर में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन का प्रावधान करता है, जिसकी आबादी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक है। तदनुसार, सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और शहरों में उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले गलियारों पर सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम प्रकाशित किए हैं।

एनएचएआई के उच्च घनत्व और उच्च गति वाले गलियारों पर नई एनएच परियोजनाओं में, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) की स्थापना आम तौर पर परियोजना का एक हिस्सा होती है। इसके अलावा, एटीएमएस को पहले से निर्मित महत्वपूर्ण गलियारों में स्टैंडअलोन परियोजनाओं के रूप में भी लागू किया जाता है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा का प्रचार, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाता है। सड़क सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जाता है।

(ग) सरकार ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करने का मामला शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ उठाया है।

अनुबंध

'यातायात जाम और सड़क दुर्घटनाएं' के संबंध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा 12 दिसंबर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2932 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2018-2022 के लिए सड़क दुर्घटनाओं का राज्यवार विवरण						
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	**आंध्र प्रदेश**	24,475	21,992	19,509	21,556	21,249
2	**अरुणाचल प्रदेश**	277	237	134	283	227
3	**असम**	8,248	8,350	6,595	7,411	7,023
4	**बिहार**	9,600	10,007	8,639	9,553	10,801
5	**छत्तीसगढ**	13,864	13,899	11,656	12,375	13,279
6	**गोवा**	3,709	3,440	2,375	2,849	3,011
7	**गुजरात**	18,769	17,046	13,398	15,186	15,751
8	**हरियाणा**	11,238	10,944	9,431	9,933	10,429
9	**हिमाचल प्रदेश**	3,110	2,873	2,239	2,404	2,597
10	**झारखंड**	5,394	5,217	4,405	4,728	5,175
11	**कर्नाटक**	41,707	40,658	34,178	34,647	39,762
12	**केरल**	40,181	41,111	27,877	33,296	43,910
13	**मध्य प्रदेश**	51,397	50,669	45,266	48,877	54,432
14	**महाराष्ट्र**	35,717	32,925	24,971	29,477	33,383
15	**मणिपुर**	601	672	432	366	508
16	**मेघालय**	399	482	214	245	246
17	**मिजोरम**	53	62	53	69	133
18	**नगालैंड**	430	358	500	746	489
19	**ओडिशा**	11,262	11,064	9,817	10,983	11,663
20	**पंजाब**	6,428	6,348	5,203	5,871	6,138
21	**राजस्थान**	21,743	23,480	19,114	20,951	23,614
22	**सिक्किम**	180	162	138	155	211
23	**तमिलनाडु**	67,279	62,685	49,844	55,682	64,105
24	**तेलंगाना**	22,230	21,570	19,172	21,315	21,619
25	**त्रिपुरा**	552	655	466	479	575
26	**उत्तराखंड**	1,468	1,352	1,041	1,405	1,674
27	**उत्तर प्रदेश**	42,568	42,572	34,243	37,729	41,746
28	**पश्चिम बंगाल**	12,705	12,658	10,863	11,937	13,686
29	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	254	230	141	115	141
30	**चंडीगढ़**	316	305	159	208	237
31	**दादरा एवं नगर हवेली ***	80	68	100	140	196
32	**दमन और दीव**	76	69			
33	**दिल्ली**	6,515	5,610	4,178	4,720	5,652
34	**जम्मू और कश्मीर $**	5,978	5,796	4,860	5,452	6,092
35	**लद्दाख**				236	374
36	**लक्षद्वीप**	3	1	1	4	3
37	**पुदुचेरी**	1,597	1,392	969	1,049	1,181
कुल (संपूर्ण भारत)		**4,70,403**	**4,56,959**	**3,72,181**	**4,12,432**	**4,61,312**

नोट: * इसमें वर्ष 2020 से 2022 तक के लिए दमन और दीव का आंकड़ा शामिल है।
$ वर्ष 2018 से 2020 तक का लद्दाख का आंकड़ा शामिल है।

*****